कार्यालय अंचल अधिकारी, सिसई।

आदेश फलक

वाद का प्रकार :- विविध
वाद सं :- 03/20-21

महादेव उरांव
बनाम
बिरीया टाना भगत

21.05.2020	आवेदक महादेव उरांव, पिता – करमा उरांव, ग्राम – कुलंकेरी, थाना – सिसई द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा – कुलंकेरी के खाता संख्या 19, रकबा – 10.39 एकड़ भूमि घुड़ा उरांव वगै० के नाम से दर्ज है। परन्तु ऑनलाईन में शंकर टाना भगत एवं बिरीया उरांव के नाम से हो गया है। सुधार हेतु अनुरोध किया गया है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार मौजा – कुलंकेरी के खाता सं० – 19, रकबा – 10.39 ए० भूमि पंजी – II के पृष्ठ संख्या – 40, vol – I में घुड़ा उरांव वगै० पे० चरवा उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है। परन्तु ऑनलाईन में खाता सं० – 19, रकबा – 10.39 एकड़ भूमि बिरीया टाना भगत वो शंकर टाना भगत, पिता चरवा टाना भगत के नाम से दर्ज है। परिवर्त्तन के लिये प्राधिकार कॉलम में दा०खा० वाद सं० दर्ज नही है। आवेदन में दर्ज वंशावली के अनुसार पंजी – II रैयत घुड़ा उरांव के वंशज महादेव उरांव भी हैं। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार ऑनलाईन एवं भौतिक एवं भौतिक पंजी – II में भिन्नता का उल्लेख किया गया है। अतः संबंधित रैयतों को खास नोटिश निर्गत करें। दिनांक 05.06.2020 को रखें। 21/05/2020 अंचल अधिकारी, सिसई।
05.06.2020	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित रैयत उपस्थित। आवेदक द्वारा वंशावली एवं शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के उपरान्त आदेशार्थ रखें। 05/06/2020 अंचल अधिकारी, सिसई।
27.11.2020	आवेदक द्वारा प्रस्तुत शुद्धिपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दाखिल –खारिज वाद संख्या – 261आर27/16-17 के अनुसार उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज के उपरान्त पुराने रैयत घुड़ा उरांव वगै० पिता – चरवा उरांव के स्थान पर नया रैयत बिरीया टाना भगत वो शंकर टाना भगत, पिता – स्व० चरवा टाना भगत वो महादेव उरांव वो संजय उरांव, पिता – स्व० करमा उरांव का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अतः पारित आदेश के अनुसार ऑनलाईन एवं भौतिक पंजी – II में रैयत का नाम दर्ज करने का आदेश संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को दिया जाता है। 27/11/2020 अंचल अधिकारी, सिसई।

Scanned with CamScanner